रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2011 (आषाढ़ 25, 1933)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2011 (ASADHA 25, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

नौएडा, दिनांक 2011

सं. भा.अ.जा.प्रा./कार्गो/184/2009--भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 35 के द्वारा, धारा 17 को पढ़ते हुए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा --इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''शुल्क'' से राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग हेतु और प्राधिकरण द्वारा सृजित अवसंरचना के उपयोग हेतु कार्गो स्वामियों अथवा जलयान को दी गई सेवा के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रभार है;

(घ) ''अनुसूची'' से प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए शुल्क को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ङ) ''जलयान'' से अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) में यथा परिभाषित एक अन्तर्देशीय जलयान अभिप्रेत है;

(च) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अर्थ अधिनियम में क्रमश: निर्दिष्ट अर्थ होगा।

3. शुल्क का वर्गीकरण--प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले शुल्क का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में होगा, अर्थात्--

(क) जलमार्ग उपयोग प्रभार

(ख) जलयान से संबंधित प्रभार

(ग) कार्गो से संबंधित प्रभार

(घ) संयुक्त प्रभार

(ङ) विविध प्रभार, और यथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट।

4. शुल्क का भुगतान--प्रत्येक जलयान अथवा कार्गो स्वामी विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान 'भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक को करेगा।

5. लेखा का रखरखाव--प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय का निदेशक प्राप्त शुल्क का लेखा जोखा रखेगा।

6. शुल्क के भुगतान से छूट --(1) देशी जलयानों को शुल्क के भुगतान से छूट होगी।

(2) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जलयानों (कार्गो जलयानों को छोड़कर), सैन्य जलयानों, अर्ध-सैनिक जलयानों और पुलिस जलयानों को केवल विनियम 3 के खण्ड (क) में दिए गए जलमार्ग उपयोग प्रभार के भुगतान से छूट होगी।

(3) आपदाओं के लिए राहत अभियान सहित आपदा प्रबंधन से संबद्ध जलयानों के परिचालन को केवल विनियम 3 के खण्ड (क) में दिए गए जलमार्ग उपयोग प्रभार के भुगतान से छूट होगी।